

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

प्रस्तुत समक्ष:- श्री मनीष कुमार पाण्डेय

जी० आर० नं०- 989 / 2026

करपी थाना काण्ड संख्या 226 / 2022

राज्य बनाम हरेन्द्र कुमार

04.05.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में न्यायालय में दिनांक 19.11.2024 को अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में न्यायालय द्वारा सूचक को नोटिस दिनांक 18.02.2025 को निर्गत किया गया है। मामले में अंतिम प्रपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, कांड दैनिकी के पैरा-1,3,6,7,8,11,12,13,17,21,24,27,30,34,41,43,48,51,53,58 अवलोकन किया। मामले में न्यायालय यह पाती है कि सूचक उपस्थित नहीं हुआ है। प्रस्तुत मामले में संज्ञान लेने लायक तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अतः न्यायालय भी मामले में अंतिम प्रपत्र से सहमत है। अंतिम प्रतिवेदन सत्य सुत्रहीन समर्पित किया गया है। अतः न्यायालय अंतिम प्रपत्र से सहमत होते हुये अंतिम प्रपत्र को **स्वीकार** करती है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

स्थान:- व्यवहार न्यायालय, अरवल

दिनांक:- 04.05.2026

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे० ओ० कोड, बी. आर. 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।